न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/3835 प्रकरण क्र /निगरानी/2017–18

उधम सिंह पुत्र स्व. श्री दीवानसिंह,
आयु–वयस्क, जाति–मैना उम्र 48 वर्ष
निवासी–ग्राम–वागोद तहसील व
जिला–विदिशा, {म0प्र0}

..... आवेदक

विरूद्ध

रामगोपाल पुत्र श्री मिश्रीलाल आयु–33 वर्ष
जाति–मैना, निवासी–ग्राम–वागोद, तहसील
व जिला–विदिशा, (म0प्र0)

..... अनावेदक

निगरानी मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के तहत्.

महोदय

निवेदन है कि अतिरिक्त तहसीलदार विदिशा के प्रकरण क्रमांक– 35/अ–3/2014–15 में माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक– 08/08/2014 के बाबजूद दिनांक–15/09/2015 एवं सहपठित आदेश दिनांक– 18/09/2015 पारित कर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवैहलना की जाने पर अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी विदिशा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जाने पर प्रकरण क्रमांक–6/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक–27/06/2016 से दुखी होकर यह द्वितीय अपील समयावधि में प्रस्तुत की गई, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय भोपाल द्वारा वैधानिक तथ्यों को अनदेखा करते हुए प्रकरण क्र. 696/अपील/15–16 आदेश दिनॉक 31/08/17 द्वारा अपील अमान्य की गई, जिसकी सूचना आवेदक को दिनॉक 04/10/17 को दी गई। इस आदेश से पीड़ित होकर यह निगरानी समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है ::–

1 यह कि प्रकरण कि आवेदक/रिस्पा0 रामगोपाल एवं अपी0/आपत्तिकर्ता आपस में एक ही कुटुम्ब के हैं, और रिस्पा0 रामगोपाल आपत्तिकर्ता उधमसिंह के सगे चाचा श्री मिश्रीलाल का पुत्र है। श्री मिश्रीलाल एवं उनके पुत्रगण आदि तथा आवेदक एवं उसके पुत्रगण का अभी पिछले 15–16 वर्षों पूर्व तक संयुक्त हिन्दू परिवार रहा है और संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति के रूप में उन्हें कुछ कृषि भूमियाँ उनके पूर्वजों से प्राप्त हुई थी और उसके उपरांत संयुक्त हिन्दू परिवार ने संयुक्त परिवार की आय से अलग- अलग सयम में संयुक्त परिवार के अगल–अगल सदस्यों के नाम से कृषि भूमियाँ संयुक्त परिवार के लिये क्रय की थी, आपसी बटवारे के समय आपत्तिकर्ता एवं उसके चाचा श्री मिश्रीलाल ने उनके प्रत्येक के हिस्सा 1/2 का वाहमी बटवारा कर लिया था जिसके तहत् संयुक्त परिवार के

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/3835 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/10/18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 696/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा उसके भूमिस्वामित्व की भूमि के बटान कायमी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त तहसीलदार विदिशा ने अपने आदेश दिनांक 18.09.2015 द्वारा बटान स्वीकृत की गई। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील उनके आदेश दिनांक 27.06.2016 द्वारा अस्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 31.08.2017 द्वारा अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का जो जवाब दिया है उसमें गलत व असत्य एंग से यह उल्लेखित किया है कि आवेदित भूमि उसकी व्यक्तिगत भूमि है जबकि व्यवहारवाद में उक्त् भूमि को संयुक्त परिवार की कृषि भूमि होना स्पष्ट रूप से अभिकथित किया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य को नजर-अंदाज करके बटान डाले जाने का आदेश पारित किया गया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की ओर से	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

प्रस्तुत व्यवहारवाद और इस व्यवहारवाद में सम्मिलित भूमि समान होने के बावजूद तहसील न्यायालय के आदेश को अवैधानिक रूप से संरक्षण देते हुए प्रचलनशीलता पर अपील अस्वीकार किया जाना विधि विपरीत है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि व्यवहार न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने से तथा माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरांत भी तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने में न्यायिक त्रुटि की गई है। इसी प्रकार अपीलीय न्यायालयों द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती आदेश हैं, जिनमें कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है।

यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा विवादित भूमि के संबंध में प्रस्तुत व्यवहारवाद दिनांक 26.11.17 को एवं व्यवहारवाद में प्रस्तुत आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत सिविल अपील जिला न्यायाधीश विदिशा द्वारा दिनांक 09.03.2018 को निरस्त की जा चुकी है। उक्त् आधारों पर उनके द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि उभयपक्षों के मध्य प्रकरण व्यवहार न्यायालय में प्रचलित है ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रचलन योग्य न होने से अस्वीकार की है जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने अपने आलोच्य आदेश में की है। विधि का यह सुस्पष्ट सिद्धांत है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश उभयपक्षों सहित राजस्व, न्यायालयों पर बंधनकारी होगा। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापस हो।

(एम.गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य